

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 321

25/10/25
प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 14.10.25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खणाय मानसी व मू.अ.
नि. डोड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खणाय की टोली
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 46
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>खणाय की टोली</u>	46	4	<u>ख1011</u> <u>पुत्र</u> <u>खसरा</u>	<u>ख1011/215</u> <u>पुत्र</u> <u>खंकरा/215</u>

क्रमांक:- सम./2025/ 322-324
प्रतिलिपि:-

समदरसिंह
(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 14.10.25

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करवें।
- प्रार्थी ख1011/215 खंकरा/215 तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

समदरसिंह
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी